

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं० सं०-5/उनि०ब०(आ०)18/2018

पत्रांक 120/91/927

पटना, दिनांक 08.08.19

शुद्धि पत्र

उद्योग विभाग के शुद्धि-पत्र ज्ञापांक 1310, दिनांक 01.03.2019 द्वारा विभागीय राज्यादेश पत्रांक 4861, दिनांक 27.10.2018 में संशोधन किये जाने के आलोक में आवंटनादेश पत्रांक 23/आ०, दिनांक 30.10.2018 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है -

1. आवंटनादेश में संबोधित पदाधिकारियों में "वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना" के स्थान पर "सहायक निबंधक (बुनकर), सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना" पढ़ा जाय।
2. आवंटनादेश की कड़िका-02 में दी गयी सारणी के क्रम संख्या-14 पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम "वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना" के स्थान पर "सहायक निबंधक (बुनकर), सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना" पढ़ा जाय।

तदनुसार निर्गत आवंटनादेश पत्रांक 23/आ०, दिनांक 30.10.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। आवंटनादेश की अन्य शर्तें एवं बंधेज यथावत् रहेंगे।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 120/91/927

पटना, दिनांक 08.08.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी कोषागार, पटना एवं नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 120/आ०/927

पटना, दिनांक 08.08.19

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/वरीय लेखा पदाधिकारी, ह०रे० निदेशालय, बिहार, पटना/सहायक निबंधक (बुनकर), सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना/निदेशक, ह०रे० निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग/अपर उद्योग निदेशक (तक०), ह०रे० निदेशालय/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग/ए०सी०-डी०सी० यू०सी० कोषागार, उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा ए०टी०मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।